



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆ

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार,
क्षेत्रीय कार्यालय, कर्नाटक,
भविष्य निधि भवन, सं 13,
राजाराम मोहन राय रोड,
पो. वा. सं 25146
बैंगलूर - 560 025

Ministry of Labour, Govt. of India,
REGIONAL OFFICE, KARNATAKA
"BHAVISHYANIDHI BHAVAN"
P.B. No. 25146, No. 13, RAJA RAMMOHAN ROY ROAD,
BANGALORE-560 025

(ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಾಲಯ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ)
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಭವನ, ಸಂಖ್ಯೆ 13,
ರಾಜಾರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ,
ಆಂಚೆ ಬೀಲ ಸಂಖ್ಯೆ - 25146
ಬೆಂಗಳೂರು-560 025

सं. कर्ना / भ.नि/सर्कल/कर्ना/

No. KN/BN/CIR/II/KN42396/BDHII/733/07

दिनांक :

Date: 11.07.07

सेवा मे / To M/s Difacto Robotics & Automation

Pvt. Ltd., #402-E, Amar Syothi Apartments

85, Kanakapura Road, Yediyur

6th Block, Jayanagar

Bangalore - 560 082

कर्ना/KN42396

कृपया सभी पत्राचार में कोड सं. सूचित करें।

Please quote code No. in all
correspondence

महोदय/ Sir

विषय / मेसर्स : को कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबन्ध अधिनियम 1952

तथा उसके अधीन बनाई गई योजनाओं को लागू करना

Sub - : Applicability of **Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952** and the Schemes framed thereunder to M/s.

Difacto Robotics & Automation (P) Ltd.

Bangalore - 560 082

दिनांक को आपके द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि

On the basis of particulars furnished by you on..... it is evident that :

(क) आपकी स्थापना/फैक्टरी अर्थात् मेसर्स में लगा है जो कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की अनुसूची 1 स्थापना वर्ग में सम्मिलित है।

(a) Your establishment/factory viz. M/s **Difacto Robotics & Automation (P) Ltd.** is engaged in **Software Development** which is included in Schedule I / classes of establishments in **Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952.**

(ख) यह कि उक्त स्थापना/फैक्टरी दिनांक को व्यक्तियों को नियोजित किया है।

(b) that the said establishment/ factory has employed 06 persons on 01.07.07.

(ग) क.भ.नि. व विविध उपबन्ध अधिनियम 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये योजनाओं के प्रावधानों, आपके उपरोक्त उल्लिखित स्थापना पर मुख्य कार्यालय तथा उनकी शाखाओं, विभागों सहित यदि एक स्थान पर अथवा विभिन्न स्थानों पर स्थित है, दिनांक से पिछली अवधि के लिए आपके रिकार्डों की जाँच पर लागू किया जायेगा।

c) **The provisions of E.P.F. & Misc. Provisions Act 1952**, and the schemes framed thereunder are applicable to your above mentioned establishment together with head office and its branches/departments whether situated at the same place or at different places with effect from..... subject to further verification of your records for the earlier period.

स्वैच्छिक आधार पर, क.भ.नि एवं विविध प्रकीर्ण अन्वन्ध अधिनियम को उपधारा (4) की धारा(1) के अंतर्गत विस्तार के लिए प्राप्त आपके आवेदन सं..... दि..... के संदर्भ में आपके स्थापना को क.भ.नि एवं विविध प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की उप धारा (4) की धारा 1 के द्वारा उनपर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा लम्बित अधिसूचना पर दिनांक से व्याप्त करते हुए कोड सं. आवंटित किया जाता है।

With reference to your application No.dtreceived for extension of **E.P.F. & Miscellaneous Provisions Act. 1952**, under Section 1 (4) of the said Act, on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment covering your establishment with effect from 01.07.07 pending issue of notification by the Government of India in exercise of powers conferred on them by sub-section (4) of Section 1 of the **E.P.F. & Misc. Provisions Act 1952.**

2. क.भ.नि. एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन सूचित योजनाएं कर्मनि योजना..... के विभिन्न प्रावधानों के साथ अनुपालन करने के उद्देश्य से आपके स्थापना को कोड सं. कर्ना..... आबंटित किया गया है। यह कोड सं इस कार्यालय के साथ किए जा रहे सभी पत्राचारों में अवश्य सूचित करें। नियोजक के द्वारा देय अंशदान मूल वेतन, मंहगाई भत्ता की ~~10%~~ 12% की दर पर होगी। कर्मचारियों द्वारा देय अंशदान नियोजक के द्वारा देय अंशदान के बराबर होगी।

2. The Code No. KN/42396..... is allotted to your establishment for the purpose of making compliance with the various provisions of the E.P.F. & Misc. Provisions Act 1952, and the schemes framed thereunder namely E.P.F. Scheme 1952, Employees Pension Scheme 1995 and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976. This Code number should invariably be quoted in all the correspondence with this office.

The contribution payable by the employer shall be at the rate of ~~10%~~ /12% of basic wages, dearness allowance (including cash value of any food concessions and retaining allowance, if any payable to each employee every month). The contribution payable by the employees shall be equal to the contribution payable by the employer.

- i. अंशदान मूल वेतन, मंहगाई भत्ता इत्यादि जो पूरे माह के दौरान दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आधार पर देय होंगी।
 - i. The contribution shall be calculated on the basis of the basic wages, dearness allowance etc. payable during the whole month whether paid on daily, weekly fortnightly or monthly basis
 - ii. प्रत्येक अंशदान, निकटतम रुपये अर्थात् 50 पैसे पर गणन किया जायेगा, 50 पैसे या अधिक को अगले उच्च रुपये के रूप में गणन किया जायेगा और 50 पैसे से कम हो, को नजर अंदाज किया जायेगा।
 - ii. each contribution shall be calculated on the nearest rupee i.e., 50 paise or more to be counted as the next higher rupee and fraction of a rupee less than 50 paise to be ignored.
 - iii. अंशदान की गणन, करने के लिए वेतन को निकटतम रुपये पूर्णांकित करें अर्थात् 50 पैसे या अधिक को एक रुपये के रूप में लिया जाए तथा 50 पैसे से कम को नजर अंदाज करें।
 - iii. for the purpose of calculating contribution, the wages may be rounded off to the nearest rupee i.e., 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise to be ignored.
3. सदस्यों को मजदूरी देने पूर्व आप कर्मचारियों के अंशदान उनके वेतन से काटेंगे तथा अपने अंशदान के साथ प्रशासनिक प्रभार के साथ प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर निम्नलिखित रूप से चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अनुरक्षित निधि के लेखों में भुगतान करेंगे।

3. Before Paying the member's wages, you shall deduct the employees' contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall be paid within 15 days of the close of every month in the Account of the Fund maintained by the State Bank of India by combined challan in the following manner :

(क)	क.भ.नि. अंशदान	:	क.भ.नि. लेखा सं. 1 में जमा करना है।
(a)	E.P.F. Contribution	:	To be deposited in E.P.F. A/c. No. 1
(ख)	प्रशासनिक प्रभार	:	क.भ.नि. लेखा सं. 2 में जमा करना है।
(b)	Administrative charges	:	To be deposited in E.P.F. A/c. No. 2
(ग)	कर्मचारी पेंशन निधि	:	कर्मचारी पेंशन लेखा सं. 10 में जमा करना है।
(c)	Employees' Pension Fund Contribution	:	To be deposited in Employees' Pension Fund A/c. No. 10

नोट: (i) प्रशासनिक प्रभारों की दर वेतन, मूल वेतन मंहगाई भत्ता खाद्य रियायत तथा रीटनिंग भत्ता, यदि कोई हो के रोकड मूल्य सहित 1.1% है जो 1-8-98 से न्यूनतम रु. 5% तक सीमित है।

Note: (i) The rate of administrative charges is @ 1.1% subject to a minimum of Rs. 5/- w.e.f. 1-8-98 of pay, basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance, if any.

यह नोट किया जाए कि सदस्यों की वेतन से यदि समय पर कटौतियाँ नहीं की जाती है तो नियोजक दोनों के हिस्सों को स्वयं ही भुगतान करेगा, चूंकि कर्मचारियों के वर्तमान वेतन से पिछली अवधि के लिए अंशदानों के बकायों को काटना मना है यह तभी हो सकता है यदि गलती से क्लर्कीय त्रुटि से समय पर नहीं काटी गई हो।

(ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the member's wages the employer will have to pay both the shares himself, as the recovery or arrears contributions for the back period from the subsequent wages of the employees is prohibited except when such recovery could not be made at the appropriate time due to accidental mistake or clerical error.

(iii) पेंशन योजना निधि के सभी सदस्यों पर लागू है।

The Pension Scheme is applicable to every member of the Fund.

(iv) अंशदान की विवरणों के लिए कृपया पृष्ठ सं. 4 देखें।

Please see page No. 4 for details of contribution.

4. यथा उपर स्पष्ट किया गया है, लेखा सं. 1, 2 व 10 में किए गए जमाओं के अतिरिक्त आपसे प्रत्येक माह के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर नीचे जैसा सूचित किया गया है कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा सं 21 तथा 22 में अंशदान तथा प्रशासनिक प्रभारों को भी जमा करना है।

Besides making deposits in Account. Numbers **1,2 and 10** are explained above, you are also required to deposit the contributions and Adm. Charges in Account No. **21 and 22** under the Employees, **Deposit Linked Insurance Scheme 1976**, in the manner indicated below within **15 days** of the close of each month.

(i) निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा सं. 21 इस लेखे में अंशदान का **0.5%** जो मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (खाद्य रियायत की रोकड मूल्य तथा रीटनिंग भत्ता यदि कोई शामिल है) को नियोजक द्वारा कर्मचारियों को देय है, जमा किया जायेगा।

**Deposit Linked Insurance
Fund Account No. 21**

To this account will be deposited the contribution at **0.5%** on the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession and retaining allowance, if any) payable to the employees by an employer.

(ii) क्षेत्रीय बीमा निधि प्रशासनिक लेखा सं. 22 इस लेखा में प्रशासनिक **0.01%** की दर से तथा न्यूनतम रु. 2/- तक जो मूल वेतन मंहगाई भत्ता (खाद्य रियायत नकद मूल्य तथा रीटनिंग भत्ता यदि कोई शामिल है का कुल जोड है) को नियोजक द्वारा कर्मचारियों को देय है जमा किया जायेगा।

**Regional Insurance Fund
Administrative A/c. No. 22**

To this account will be deposited the administration charges at the rate of **0.01%** subject to a minimum of **Rs. 2/-** the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession and retaining allowance, if any) payable to the employees by an employer.

5. उपरोक्त लेखों में अर्थात् **1, 2, 10, 21, 22** में जमा संयुक्त चलान में किया जाना है तथा बैंक से प्राप्त चालानों की त्रिप्रति इस कार्यालय को प्रपत्र सं 12 ए के साथ संलग्न (परिशोधित तथा नीचे स्पष्ट) कर प्रेषित करना है।

The Deposit in the above accounts, viz., **1,2,10,21,22** are to be made by combined challan and triplicate copies of the challans received from the bank should be forwarded to this office duly attached with form **No. 12A** (Revised as explained below)

आपसे निम्नलिखित विवरणों का रखरखाव प्रेषण करना अपेक्षित है :

You are required to maintain/forward the following returns :

(i) क.भ.नि. योजना 1952 के अंतर्गत प्रपत्र सं. 9

इन्हे कार्यालय में एक बार प्रस्तुत करना है तथा ऐसी कर्मचारियों के संबंध में जो इस योजना के अंतर्गत स्थापनाओं को व्याप्त करने की तिथि से सदस्य बनने के लिए पात्र है या अपेक्षित है।

For No. 9 under the EPF
Scheme 1952

These are to be submitted to this office once, in respect of those employees who are required or entitled to become member on the date the factory/establishment is covered under the Scheme.

(ii) क.भ.नि. योजना 1952 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत प्रपत्र सं. 2

For No. 2 under the E.P.F. Scheme 1952 and also under the Employees' Pension Scheme 1995.

इन्हे सभी सदस्यों से द्विप्रति में प्राप्त करके इस कार्यालय को प्रस्तुत करना है।

These are to be obtained in duplicate from every member to submission to this office.

(iii) प्रपत्र सं. 5 ए

Form 5A

इसे इस कार्यालय को द्विप्रति में प्रस्तुत करें। स्वामित्व में यदि कोई बदलाव हो तो इसे इस कार्यालय को इस प्रपत्र द्वारा अधिसूचित करें।

This is to be submitted to this office in duplicate. Any Subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.

(iv) प्रपत्र सं. 3-ए

Form No. 3-A

इसे फैक्टरी/स्थापना में प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में रखरखाव करना है जो सदस्य है तथा इसमें प्रत्येक माह काटी गई भ.नि. का इदराज करना है।

This is to be maintained at the factory/establishment in respect of every employee who is a member in which the contribution paid to the P.F. are to be posted every month.

(v) प्रपत्र 6-ए

Form No. 6-A

यह अंशदान की वार्षिक विवरण है तथा इस कार्यालय को वित्तीय वर्ष की समाप्त होने की 30 दिनों के अंदर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना है, (अर्थात्-30 अप्रैल को) प्रपत्र सं 3-ए के साथ (अंतिम अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च में देय फरवरी को दर्शाना है)।

This is the annual return of contribution and is to be submitted to this office within **30 days** of the close of the financial year, (i.e. **30th April**) along with Form **3-A** (Last Contribution to be shown for February payable in March each year)

(vi) प्रपत्र सं 12-ए

Form No. 12-A

यह अंशदानों का मासिक विवरण है तथा इस कार्यालय को प्रत्येक आगामी माह के 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना है। इस के साथ चालानों के त्रिप्रति के साथ भारतीय स्टेट बैंक में किए गए जमाओं भी संलग्न किया हो।

This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by **25th** every following month. Triplicate copies of the challans in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

(vii) प्रपत्र सं. 5 व 10

Form No. 5 & 10

यह उन कर्मचारियों के विवरण हैं जो माह में नई सदस्य बनें है या नौकरी छोड़े हैं तथा इस कार्यालय को आगामी माह के 25 तारीख तक प्रस्तुत करेंगे चाहे किसी माह के लिए विवरण 'शून्य' ही हो।

These are the returns of employees who have become new members or have the left the service in the month and to be submitted to this office before **15th** of the following month irrespective of whether the particulars are 'Nil' for any month.

6. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन निधि, 1995 तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अंतर्गत निर्धारित सभी प्रपत्रों भ.नि. कार्यालय में उपलब्ध है तथा आपके मांग पत्र प्राप्त होने पर मुफ्त आपूर्ति किया जायेगा।

All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme 1952, the **Employees Pension Scheme, 1995 and the Deposit Linked Insurance Scheme 1976**, are available in the P.F. office and will be **SUPPLIED FREE COST** on receipt of your indent.

7. पेंशन निधि अंशदान के संबंध में भ.नि. अंशदान के नियोजक के हिस्से से अलग करके संबंधित प्रपत्र में अलग से दर्शाना है तथा लेखा सं 10 में अलग से प्रेषित करना है।

Regarding Pension Fund Contributions, it should be separated from the Employers' share of Provident Fund contribution and shown separately in the respective form and remitted separately in A/c. **No. 10.**

नोट : क.नि.स.बी. योजना के अधीन देय अंशदान प्रशा प्रभार प्रत्येक कर्मचारी को देय मासिक वेतन के. रु. 6500/- तक सीमित किया जाय जिसकी संगणना सभी कर्मचारियों के औसत पर की जाए।

Note : The Contributions and Administrative charges payable by the Employer under the **E.D.L.I.** Scheme shall limited to the amount payable on a monthly pay of **Rs. 6500/-** of each Employee, calculated on the aggregate of all Employees

8. अधिनियम के लागू होने के तिथि से अब तक की अवधि के लिए क.भ.नि.क.पें.यो तथा क.नि.बी. यो देयों के संबंध में बकायों को तत्काल प्रेषित करना है।

As regards **E.P.F., E.P.S. and E.D.L.I** dues for the period from the date of Applicability of the Act to date, the arrears should be remitted forthwith. This is without prejudice to levy of Damages and interest payable for the belated remittances.

9. यदि, प्रपत्र-9 में दर्शाई गई कर्मचारियों, जहाँ पर योजना के प्रारंभ होने पर स्थापना के निजी भविष्य निधि, सदस्यों के जमा में भविष्य निधि अंशदानों को भारतीय स्टेट बैंक में निर्धारित चालानो द्वारा कर्भनि सं 1 के माध्यम से जमा कर प्रेषण करना है तथा चालान के त्रिप्रति इस कार्यालय को भेजना है। प्रति भूतियों में निवेशित किए गए भविष्य निधि अंशदानों चार महीनों के भीतर क.भ.नि को अंतरित कर तथा प्रतिभूतियों को अंतरित करके केंद्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में पृष्ठांकित करके इस कार्यालय को अंतरित करना है। निजी भविष्य निधि के लेखों से संबंधित रोकड शेष को इसकी सूचना मिलने की तारीख के 30 दिनों के अंदर प्रेषित करना है, ऐसा न करने पर निर्धारित दर पर विलंबित प्रेषणों के लिए आपके द्वारा देय तिथि के बाद नकद में भुगतान करना होगा। इस पत्र की अनुलग्नक सहित की प्राप्ति की पावती भेजें।

In case, the employees shown in Form-9 where the members of the establishment's private Provident Fund at the commencement of the Scheme, the accumulations in the Provident Fund Standing to their credit should be remitted in the **State Bank of India to the credit of the E.P.F. A/c. No. 1** through the prescribed challans and the triplicate copy of the challan sent to this office. All the amounts relating to the provident Fund accumulations lying invested in securities should be transferred to the E.P.F. within four months by having the securities transferred to and endorsed in favour of the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund, and the Securities thus transferred should be sent to this office. Cash on hand in relation to the Accounts of the Private Provident Fund should be remitted within **30 days** from the date of this communication, failing which damages at the prescribed rates will have to be paid by you on the delayed remittances made in cash after the due date.

The receipt of this letter along with its enclosures may be kindly be acknowledged.

KN/42396
M/s Difacto Robotics &
Automation (P) Ltd


(K.N. ARAYAN)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त कृते क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त कर्नाटक
Assistant Provident Fund Commissioner
for REGIONAL FUND PROVIDENT COMMISSIONER
KARNATAKA

सारांशीकरण /श्रेणीकरण

Copy to : प्रतिलिपि :-

1. श्री/श्रीमती..... प्रवर्तन अधिकारी उनको निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत करेंगे साथ ही क.भ.नि.व वि उ अधि नियम 1952 तथा उसके अंतर्गत रचित योजनाओं के प्रावधानों के साथ अनुपालन हेतु नियोजक को मार्ग दर्शन करें।

Shri/Smt..... Enforcement officer He is directed to submit a verification report with regard to date of applicability besides conducting first inspection and guiding the employer in order to comply with the provisions of **EPF & MP Act 1952** and the schemes framed thereunder.

2. लेखा शाखा सांख्यिकीय/समन्वय सेल के माध्यम से
Accounts Branch through Stats / co-ordination cell

3. द.क्ष सेल /P.D. Cell

4. मास्टर फाइल को अधतन करने के लिए ई.डी.पी.सेल /EDP Cell for updation of master. FILE

नियोजक दूरभाष सं...../Employer Tele No. **2664 0173**

नियोजक बैंक खाता सं...../Employer Bank A/c. No.
**CA 0002542803, CITI BANK N.A., M.G. ROAD, 102-104, PRESTIGE MERIDIAN
BANGALORE - 560 001.**

सहायक भविष्य निधि आयुक्त
कृते क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त
कर्नाटक

ASSISTANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER
for REGIONAL PROVIDENT COMMISSIONER
KARNATAKA

अंशदान का विवरण /DETAILS OF CONTRIBUTION

लेखा A/c.	कर्मचारी EE	नियोजक ER
1	10% / 12%	1.67% / 3.67%
2	—	1.10% (न्यूरु. min. Rs. 5)
10	—	8.33%
21	—	0.50%
22	—	0.10% (न्यूरु. min. Rs. 2)